देश के कई राज्यों में लू का कहर

उत्तर भारत में गर्मी से लोग बेहाल, पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम

▸ कुछ इलाकों में पारा 45 से 46 डिग्री पार

नई दिल्ली , 27 अप्रैल. देशभर में इस समय भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से लू और तेज गर्मी की चपेट में हैं. हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में राहत के संकेत दिए हैं.

दिल्ली-एनसीआर में तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है. फिलहाल यहां बारिश के आसार नहीं हैं. वहीं उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल तक लू का असर जारी रहेगा, लेकिन 28 अप्रैल से मौसम में बदलाव होने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाएं और बारिश हो सकती है. बिहार के कई जिलों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में 27-28 अप्रैल को बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 55 किमी प्रति

घंटे तक पहुंच सकती है. राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि 28 से 30 अप्रैल के बीच हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. हरियाणा के भिवानी, फरीदाबाद और सोनीपत में भी आंधी-बारिश का अलर्ट है, जिससे तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है. वहीं मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप चरम पर है. खजुराहो में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी रिकॉर्ड टूटे हैं. कई जिलों में लू और गर्म रातों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रों में राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने के आसार कम हैं.

आखिरी चरण का मतदान नया इतिहास बनाएगा

बेहाला, 27 अप्रैल. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर होने वाली वोटिंग को लेकर सोमवार शाम चुनाव प्रचार को शोर थम गया . इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में बेहाला पश्चिम में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया.उन्होंने कहा कि बंगाल के आखिरी

चरण का मतदान नया इतिहास बनाएगा. हर एक वोट परिवर्तन की मजबूत नींव रखेगा और बंगाल में कमल खिलेगा. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए इस आरोप पर कि भाजपा अपनी रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए पैसे देकर बाहरी राज्यों से समर्थक ला रही है, पर प्रतिक्रिया दी.

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग

निविदा क्रमांक: स्टोर्स/02/2026-27

निविदा विज्ञप्ति

दिनांक: 24.04.2026

नगर पालिक निगम इन्दौर को लगने वाली निम्न सामग्री क्रय करने हेतु ऑनलाइन निविदा आयटम रेट पर आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	ऑनलाइन टेंडर क्रमांक	सामग्री का विवरण	1) निविदा प्रपत्र की कीमत 2) अर्नेस्ट मनी की रकम	ऑनलाइन निविदा फॉर्म क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	ऑनलाइन तकनीकी निविदा ओपन करने की दिनांक एवं समय
1.	2026_UAD_503163_1	ड्रेनेज कर्मचारियो की सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण क्रय करने बाबद।	1) ₹12500/- 2) ₹100000/-	26/5/2026 को शाम 6.00 बजे तक	28/05/2026 को सुबह 11.30 बजे पश्चात

नोट- 1. निविदा ई - प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर देखी एवं क्रय की जा सकती है।
2. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर सीधे आनलाईन प्रकाशित किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नही किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

उपायुक्त
सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

फर्रुखाबाद में तालाब में गिरने से नशेड़ी की मौत

फर्रुखाबाद . उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को धक्का देकर तालाब में गिरे एक नशेड़ी युवक की मौत हो गई .पुलिस सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम देवघरापुर निवासी आदेश राजपूत (40) शराब पीने का आदी था . आज आदेश राजपूत ने, पड़ोसी गांव नगरिया में एक ग्रामीण के साथ कच्ची शराब पी और किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इस दौरान उस ग्रामीण ने,आदेश को धक्का दिया ,जिससे गहरे तालाब में गिर गया और ज्यादा नशा होने पर तालाब में डूब गया.

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड, ए.आर.एम. शाखा, प्लाट नं. 4, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल फोन : 8989014648

ई-नीलामी सूचना

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) एवं 6(2) का परन्तुक देखें]

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 6(2) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके **कब्जा** ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक **04/06/2026** को **केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के बकाया राशि को वसूल करने हेतु "जैसा है जहां है, जो है जैसा है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है।

शाखा एवं खाते/ जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि
ऋणीः **श्री सुभाष सुगंधी पुत्र कृष्णवल्लभ सुगंधी श्री कपिल सुगंधी पुत्र सुभाष सुगंधी** 19 बी, दुर्गा नगर, छोटा बांगड़दा, इंदौर, म.प्र. प्लॉट नंबर 506/2/2, पटवारी हल्का नंबर 12, ग्राम रूंजी गौतमपुरा, तहसील देपालपुर, इंदौर, म.प्र. (453115) **मेसर्स श्रीनाथ इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर श्री कपिल सुगंधी**	प्लॉट संख्या 506/2/2, पटवारी हल्का संख्या 12, ग्राम रुंजी गौतमपुरा, तहसील देपालपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश (453115) क्षेत्रफलः 13020 वर्गफुट, विलेख के अनुसार चर्तुसीमाएंः पूर्वः श्री मोहन जायसवाल की भूमि, पश्चिमः अन्य सरकारी भूमि, उत्तरः श्री रतन पटेल की भूमि, दक्षिणः नाला BAANKNET PROPERTY ID: CNRBSUGANDHI COORDINATES: 22.983799, 75.518537 भौतिक कब्जा	04/04/2025 / 18/06/2025 / दि. 27/04/2026 को ₹ 76,85,721.12 +देय ब्याज एवं खर्चे	₹ 35,17,000/- / ₹ 3,51,700/- / ₹ 10000/-

धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि 03/06/2026 या उससे पूर्व सायं 5.00 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 04/06/2026, दोपहर 12.00 से दोपहर 2.00 बजे तक (5 मिनिट के असीमित विस्तार पर)

(1) इच्छुक बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य की 10% अग्रिम राशि (ईएमडी) सीधे मेसर्स पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड (baanknet.com) पोर्टल के ई-वॉलेट में जमा करनी होगी या चालान जनरेट करके बोली जमा करने की उपरोक्त तिथि को उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करनी होगी।
(2) सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) उसके पक्ष में बिक्री होने के तुरंत बाद जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त अनुसार बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
(3) सभी शुल्क, स्टांप शुल्क/जीएसटी पंजीकरण शुल्क आदि, जैसा लागू हो और कोई भी कर, राजस्व/किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को बकाया आदि केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
(4) यहां संपत्ति का विक्रय राशि रु. 50 लाख या उससे ऊपर हो उस परिस्थिति में नीलामी खरीददार को विक्रय राशि का 1% टी.डी.एस. का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस सर्टिफिकेट की मूल प्रति बैंक में जमा करनी होगी।
विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबपोर्टल http://BAANKNET.com देखें अथवा सम्पर्क करें- मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड, ए.आर.एम. शाखा, प्लाट नं. 4, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल 8989014648, 8057766078, 9691096410, 9123403299 (भोपाल), 7905027805 (जबलपुर एवं बिलासपुर), 7683068902 (रायपुर), 9140476074 (ग्वालियर), 9830130770 (इंदौर), 8073562754 (BHOPAL)
दिनांक : 27.04.2026, स्थान : भोपाल — प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

हम महात्मा गांधी के सत्याग्रह को अपनाएंगे

नई दिल्ली, 27 अप्रैल. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में चल रहे अपने मामले में पेश नहीं होने और ना कोई दलील रखने का फैसला किया है.

श्री केजरीवाल ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट चुकी है. अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ, मैंने इस मामले में उनके सामने पेश नहीं होने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, मैंने हितों के टकराव के कारण न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को मेरे मामले में खुद से हटने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने ने स्वयं ही सुनने का फैसला दिया. इस मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा जो भी फैसला सुनाएंगी, उस पर मैं अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हूं.

साथ ही उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि जब मेरे खिलाफ साजिशें हुई तो न्यायपालिका ने ही मुझे दोष मुक्त करके न्याय दिया. उन्होंने कहा कि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब जीत या हार मायने नहीं रखते। उससे भी बड़ा सही और गलत का सवाल हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है.

केजरीवाल ने सांसद से मांगा इस्तीफा

आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अरविन्द केजरीवाल ने उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देने की सलाह दी थी. यह बयान ऐसे समय आया है जब पार्टी से सात सांसदों के अलग होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. साहनी के मुताबिक, 22 अप्रैल को हुई एक बैठक में केजरीवाल ने उनसे पूछा कि क्या उन पर कोई दबाव है.

एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक आज

राजनाथ सिंह करेंगे भारत का नेतृत्व

नई दिल्ली, 27 अप्रैल. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को किर्गिज़स्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक उच्च-स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. बैठक के दौरान विभिन्न सदस्य देशों के रक्षा मंत्री क्षेत्र की रक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे.

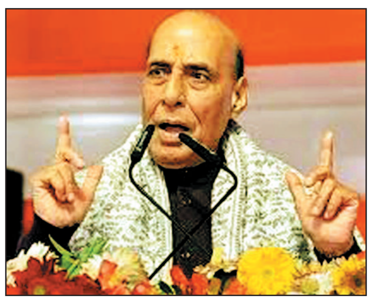

अंतरराष्ट्रीय शांति, आतंकवाद-रोधी प्रयासों तथा एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की जाएगी. इस वर्ष की एससीओ बैठक पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण उत्पन्न हो रही भू-राजनीतिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में आयोजित हो रही है. क्षेत्र के सबसे बड़े राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनों में से एक एससीओ इस संघर्ष के प्रभाव को कम करने के उपायों पर भी चर्चा कर सकता है. रक्षा मंत्री वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे और आतंकवाद एवं उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के दृढ़ रुख को दोहराएंगे.

बैठक के दौरान श्री सिंह कुछ भाग लेने वाले देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं. एससीओ एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून, 2001 को चीन के शंघाई में हुई थी. इसके सदस्य देशों में भारत, रूस, चीन, कज़ाख़स्तान, किर्गिजस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं. भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना और 2023 में इसकी अध्यक्षता संभाली.

आज का इतिहास

1740 - मराठा साम्राज्य का महान सेनानायक बाजीराव प्रथम का निधन.
1791 - महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष हरि सिंह नलवा का जन्म.
1910 - इंग्लैंड में क्लोड ग्राहम वाइट नाम के पायलट ने पहली बार रात में विमान उड़ाया.
1937 - इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का जन्म.
1943 - नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से जापान की अपनी यात्रा के दौरान मेडागास्कर के निकट एक जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में सवार हुए.
1945 - इटली के देशभक्त सैनिकों द्वारा तानाशाह मुसोलिनी एवं उनकी पत्नी (रखैल) की गोली मारकर हत्या.
1955 - भारतीय उद्योगपति और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अग्रणी उद्यमी टी. वी. सुन्दरम अयंगर का निधन.

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार), पश्चिम रेलवे, रतलाम की ओर से ई - निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा संख्या: Snt_RTM_W_26_Tele_04, दिनांक : 24.04.2026. कार्य का नाम:** RTM-CNA (195 कि.मी.) तथा UJN-DWX-INDB (79 कि.मी.) खंडों में कुल 274 कि.मी. दूरी पर सर्किट की विश्वसनीयता में सुधार हेतु 4 × 48 कोर ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था के संबंध में दूरसंचार सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमिशनिंग बाबत। **कार्य की अनुमानित लागत**: रु. 43,12,18,900.18. **निविदा प्रपत्र का मूल्य**: शून्य। **जमानत राशि**: रु. 86,24,400/-. **कार्य पूर्ण करने की अवधि**: बारह (12) माह। **ई-निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि व समय**: दिनांक 25.05.2026 समय 15:00 बजे तक। **ई-निविदा खोलने की तिथि व समय**: दिनांक 25.05.2026 समय 15:30 बजे तक। **वैधता**: निविदा खुलने की दिनांक से 60 दिन। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है। **AK/23**

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	62757587	संपत्ति के बदले ऋण	30.03.2026	2,73,875.51/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नामः 1. भरत सिंह सोंदिया 2. अमृत बाई

संपत्ति का पताः मध्य प्रदेश के मालवा जिले के बड़ौद, अगर जिले के वार्ड संख्या 05, पटवारी हल्का संख्या 66, ग्राम कल्याणखेड़ी में स्थित, सर्वेक्षण संख्या 222, मकान संख्या 87 का वह पूरा निर्मित मकान, जिसका क्षेत्रफल 5400 वर्ग फुट है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः सामान्य सड़क, दक्षिणः सड़क, पूर्वः श्याम सिंह का मकान, पश्चिमः उदय सिंह का मकान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	57897716	संपत्ति के बदले ऋण	28.03.2026	2,40,212.68/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नामः 1. हरेन्द्र सिंह 2. सुलोचना बाई

संपत्ति का पताः मध्य प्रदेश-455118, देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के मालपुरा गांव में स्थित, पीएच नं. 10, सर्वे नंबर 185, 2100 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह संपत्ति/प्लॉट, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में स्वयं का प्लॉट, पश्चिम में स्थानीय सड़क उत्तर में इंदर सिंह का घर, दक्षिण में किरपाल सिंह का घर

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	143177778	होम लोन	02.04.2026	7,22,200.62/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नामः 1. जालम सिंह राजपूत 2. किरण कुँवर

संपत्ति का पताः प्लॉट संख्या 118, सर्वे संख्या 714, ग्रामः खजुरिया, पीएच नं. 42, तहसीलः जावरा, जिलाः रतलाम, मध्य प्रदेश-457118 में स्थित संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 73 वर्ग मीटर है, और निर्माण अनुमति/अनुमोदित मानचित्र के अनुसार पूरी संपत्ति की चारों सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः गंगा बाई का घर, पश्चिमः सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणः ईश्वर सिंह का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	75883798	संपत्ति के बदले ऋण	08.04.2026	4,70,287.11/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नामः 1. लाल सिंह बामनिया 2. सोरम बाई

संपत्ति का पताः कुल 2240 वर्ग फुट क्षेत्रफल का वह भूखंड (भूखंड/मकान संख्या 170), जो पी.एच. संख्या 36, सर्वेक्षण संख्या 722, ग्रामः देवगुराडिया, तहसीलः टोंखुर्द, जिलाः देवास, मध्य प्रदेश-455116 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में स्थानीय सड़क, पश्चिम में फुल सिंह का मकान, उत्तर में स्थानीय सड़क, दक्षिण में राम मंदिर की खाली भूमि।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
5	97675004	संपत्ति के बदले ऋण	02.04.2026	5,90,367.82/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नामः 1. शिवनारायण श्रीराम 2. अनीता बाई

संपत्ति का पताः पटवारी हल्का क्र.12, वार्ड क्र.04, सर्वेक्षण क्रमांक 200, ग्राम धंदेड़ा, पोस्ट सेमलखेड़ी, ग्राम पंचायत धंदेड़ा, शाजापुर, तहसील नलखेड़ा और जिला अगर मालवा, म.प्र. में स्थित मकान क्र.89 का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः मकान, दक्षिणः सामान्य सड़क, पूर्वः मंगिलाल का मकान, पश्चिमः गली।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
6	57706756	संपत्ति के बदले ऋण	13.04.2026	2,88,590.96/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नामः 1. बालू प्रसाद सुतार, 2. पार्वती विश्कर्मा, 3. तेजू बाई सुतार

संपत्ति का पताः मकान संख्या 36, सर्वे सं.911, वार्ड सं. 03, पटवारी हल्का संख्या 10, ग्राम परसुखेड़ी, ग्राम पंचायत परसुखेड़ी, तहसील और जिला अगर, शाजापुर, मध्य प्रदेश-465441 में स्थित वह संपत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल 2600 वर्ग फुट है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में भगवान सिंह की भूमि, पश्चिम में बद्रीलाल का मकान, उत्तर में सार्वजनिक सड़क, दक्षिण में शिव नारायण की भूमि।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
7	122246350	होम लोन	13.04.2026	8,23,121.59/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नामः 1. सूरज गौड़, 2. लक्ष्मी गौड़, 3. सुनील मोहनलाल

संपत्ति का पताः प्लॉट/मकान संख्या 10, कुल क्षेत्रफलः 78.03 वर्ग मीटर (840 वर्ग फुट), खसरा संख्या 79, पटवारी हल्का संख्या 32, वार्ड संख्या 12, ग्राम जोगीखेड़ी, ग्राम पंचायत सोडांग, तहसील घट्टिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सामान्य सड़क, पश्चिमः जितेंद्र झिंझर की भूमि, उत्तरः राजाराम का घर, दक्षिणः जगनीश की भूमि

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
8	79465971	संपत्ति के बदले ऋण	13.04.2026	3,91,018.40/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नामः 1. यशवंत सिंह, 2. अकीला बाई, 3. सोबल सिंह

संपत्ति का पताः सर्वे संख्या 285, पटवारी हल्का संख्या 10, 2772 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह संपत्ति, जो ग्राम मालपुरा, राम मंदिर के पास, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः रास्ता, पश्चिमः गली, उत्तरः दलीप सिंह का घर, दक्षिणः भेरू सिंह का घर।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 28.04.2026
स्थानः मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **29-05-2026** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **29-05-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **28-05-2026** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	TCHHL028400010014 8116 & TCHIN0284000100150 771	श्री अमजद खान श्रीमती नजमाबी	Rs. 23,69,258/- 14-01-2025	फ्लेट नं. 202 - Rs. 10,35,600/- एवं फ्लेट नं. 203 - Rs. 11,57,000/-/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): - फ्लेट नं. 202 - Rs. 1,03,560/- एवं फ्लेट नं. 203 - Rs. 1,15,700/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	Rs. 29,68,829/- 17-04-2026

अचल संपत्ति का विवरण : **संपत्ति - 1:** ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर स्थित आशियाना पैलेस कॉलोनी के प्लॉट नंबर 76, 77, 78, 95, 96 एवं 97 पर निर्मित 'वामन हट्स सतगुरु रेसीडेंसी' के ब्लॉक ए की दूसरी मंजिल पर स्थित अचल संपत्ति फ्लैट नंबर 202 का संपूर्ण भाग, जिसका कारपेट एरिया 405 वर्ग फुट है। **चर्तुसीमा :-** पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: कॉमन पैसेज, उत्तर में: फ्लैट नंबर 201-ब्लॉक ए, दक्षिण में: फ्लैट नंबर 203-ब्लॉक ए
संपत्ति - 2: ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर स्थित आशियाना पैलेस कॉलोनी के प्लॉट नंबर 76, 77, 78, 95, 96 एवं 97 पर निर्मित 'वामन हट्स सतगुरु रेसीडेंसी' के ब्लॉक ए की दूसरी मंजिल पर स्थित अचल संपत्ति फ्लैट नंबर 203 का संपूर्ण भाग, जिसका कारपेट एरिया 471 वर्ग फुट है। **चर्तुसीमा :-** पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: फ्लैट नंबर 204-ब्लॉक ए, उत्तर में: कॉमन पैसेज, दक्षिण में: सड़क

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
2	TCHHL028400010035 1389 & TCHIN0284000100352 741	श्री राहुल मारोठिया श्रीमती बबिता मारोठिया	Rs. 22,28,255/- 09-06-2025	Rs. 24,24,200/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): - Rs.2,42,420/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	Rs. 25,68,952/- 17-04-2026

अचल संपत्ति का विवरण : ग्राम लिंबोदी, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) में स्थित श्री कृष्णा एवेन्यू फेज-3 के प्लॉट नंबर 26 पर निर्मित 'सनराइज ट्विन्स' के 'ब्लॉक-बी' की दूसरी मंजिल पर स्थित अचल संपत्ति प्रकोष्ठ नंबर 201 का संपूर्ण भाग, जिसका निर्मित क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया) 713 वर्ग फुट (66.26 वर्ग मीटर) है। **चर्तुसीमा** :- पूर्व में: प्लॉट नंबर 27, पश्चिम में: प्रकोष्ठ नंबर 202, उत्तर में: प्रकोष्ठ नंबर 204, दक्षिण में: सड़क

नोट :- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी।
नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रुप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।
बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:
कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से दिनांक 29-05-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।
नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। **2**. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। **3**. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र) 4**. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांडड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। **5**. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। **6**. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी ' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। **7**. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **21-05-2026** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। **8**. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। **9**. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। **10**. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। **11**. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12**. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, **अर्का ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पार्ट बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी : contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें ।** **13**. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। **14**. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/joxehf** का संदर्भ लें। **15**. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**
कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.
स्थान : इन्दौर
दिनांक : 28-04-2026